राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

माक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2006-07/600 दि0 20.6.06

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषयः- सत्र 2006-07 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय सत्र 2006-07 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु एक वर्ष के लिए अस्थाई प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -

क. सं.	स्पोंसर संस्था का नाम व पता	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	विषय/संकाय
1	2	3	5
1.	एक्सीलेंस एजुकेशनल सोसायटी, नगर निगम के पीछे, सीकर दूर0 1572-254862,	एक्सीलेंस महिला महाविद्यालय, सीकर	कला संकाय- अनिवार्य विषय- हिन्दी, अंग्रेजी, एलिमेन्ट्री कम्प्युटर, एन्वायरमेन्ट साईन्स ऐच्छिक विषय - अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, लोक प्रशासन, राज0 शास्त्र, गृह विज्ञान, जी.पी.ई.एम., इन्वेस्टिगेटव बायोटेक्नोलोजी, लाईव स्टोक एण्ड डेयरी, आई.एच.आर.एच., ड्राईग एण्ड पेन्टिंग, अरेबिक, टैक्सटाईल क्राफ्ट, मनोविज्ञान, हिन्दी साहित्य, संस्कृत, समाज शास्त्र, कम्प्युटर एप्लीकेशन, फक्शनल अंग्रेजी, पत्रकारिता

1. संस्था को एक वर्ष की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार स्वय की भूमि पर भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करना होगा तथा अन्य आधारभूत संरचना के कार्य भी पूर्ण करने होगें। तत्पश्चात संस्था को इसके निरीक्षण हेतु इस कार्यालय को सूचित करना होगा।
2. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
3. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाद्व की कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षो में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
4. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
5. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्वता (Affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. स्वीकृत पाठयकमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
7. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पुर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्वन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नही होगा।
9. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।

Secretary

10. ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है।

11. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (यथा यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यू.जी.सी. योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।

12. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

13. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा।

14. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।

15. तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना आवश्यक है।

16. संस्था को महाविद्यालय का वर्ष में एक बार निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा, इस हेतु संस्था द्वारा इस विभाग को सूचित करना होगा।

17. उपरोक्त शर्तो के पालना नही करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

18. संस्था आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगे ।

भवदीय

(दामोदर शर्मा)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. उप सचिव (जे), मा0 मुख्यमंत्री महोदय,(उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर, सीकर
8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/ महाविद्यालय।
9. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सांख्यकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

8/6/06

संयुक्त–निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।